छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 4, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री ओम प्रकाश राठिया, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव, डॉ. भानुप्रताप गुप्ता, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री, श्री लक्ष्मण राम, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव एवं श्री रोशनलाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, केशव प्रसाद चन्द्रा, शिवरतन शर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.29 बजे स्थगित की जाकर 11.36 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

वित्तीय कार्य :-

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 2021 को मध्याह्न 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 एवं बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2021 को होगी।

(3) गुरूवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 से मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2021 तक वित्तीय वर्ष 2021- 2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात् विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1)	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	- 3 घंटे
(2)	श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	- 3 घंटे
(3)	श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	- 3 घंटे,
(4)	श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री,	- 3 घंटे,
(5)	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	- 3 घंटे,
(6)	श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री	- 3 घंटे,
(7)	श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	- 3 घंटे,
(8)	डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री	- 3 घंटे,
(9)	श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट
(10)	श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट
(11)	श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट
(12)	श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट
(13)	श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री	- 2 घंटे, 30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक)

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-30/15-2/2020/1, दिनांक 21 जनवरी, 2021

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ13-03/2014/20-3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन नियम, 2020 तथा

(4) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1491/आर-472/आठ-परि/ 2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

पटल पर रखे ।

5. दिसम्बर, 2020 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2020 सत्र का दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

6. दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2020 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित 7 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री देवव्रत सिंह

10. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ.रमन सिंह,

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

11. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में बैठ गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 1.17 बजे स्थगित की जाकर 1.23 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

12. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

13. ध्यानाकर्षण

मानननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम-138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना कल ली जावेंगी ।

14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी ।

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुई ।

16. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 की तिथि निर्धारित की ।

17. प्रतिवेदन पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा आगामी दिवस में ली जावेगी ।

अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा